सं. 2(1)सीएसी / प्रवर्तन-II / 2013 / एफएसएसएआई / Vol II

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

तृतीय एवं चतुर्थ तल, एफडीए भवन, कोटला रोड़,

नई दिल्ली–110002

दिनांक 08.10.2013

विषयः दिनांक 27 सिंतबर, 2013 को बिजनेस लांज, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति की दसवीं बैठक के कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 27 सिंतबर, 2013 को बिजनेस लांज, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति की दसवीं बैठक के कार्यवृत्त को सूचना के लिए अग्रेषित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

संजय गुप्ता

एडी (प्रवर्तन)

फोन नं. 011–23231681

ईमेल: enforcement1@fssai.gov.in

दिनांक 27 सिंतबर 2013 को बिजनेस लांज, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति की दसवीं बैठक के कार्यवृत्त

निदेशक (प्रवर्तन) फएसएसएआई केंद्रीय सलाहकार समिति की दसवीं बैठक में सभी सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।

अध्यक्ष, एफएसएसआई ने अपने मुख्य अभिभाषण में इंगित किया कि केंद्रीय सलाहकार समिति की पिछली बैठक, अर्थात अप्रैल 2013 से एफएसएसएआई ने खाद्य मानकों के क्षेत्र में अपने कार्य का विस्तार किया है और दैनिक गतिविधियों को सुगम रूप से संचालित करने के लिए सलाहकारों को कई प्रकार के स्पष्टीकरण जारी किए हैं। एनआईएसजी के साथ समन्यवयन में कई राज्यों ने लाइसेंसिंग और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली का गठन किया है। उन्होंने राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को यह बताया कि एफबीओ के लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण में विस्तार लाएं क्योंकि अंतिम तिथि नजदीक आ रही है और यह तिथि और आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने और स्पष्ट किया कि अधिनियम को राज्य के द्वारा लागू किया जाना है; प्राधिकरण अनुरोधित सहयोग और सहायता देगी।

सीईओ, एफएसएसएआई ने अपने स्वागत अभिभाषण में इंगित किया कि भारत सरकार के द्वारा पारित किसी भी अधिनियम पर प्रश्नचिन्ह नहीं उठाया जा सकता है और राज्यों को इसके कुल संशोधनों के साथ लागू करना है। उन्होंने झारखंड और पंजाब के द्वारा एफएलआरएस को अपनाए जाने के निर्णय की सराहना की। उन्होंने और राज्यों से भी अनुरोध किया, जिन्होंने एफएलआरएस को नहीं अपनाया है, यहां तक कि वे जो एफएलआरएस को अपनाए जाने के लिए कई प्रकार के सॉफ्टवेयर पर कार्य कर रहे हैं, ताकि सभी आंकड़े तेज निर्णयों को लागू करने के लिए अपनाए जा सकें। उन्होंने जोर दिया कि राज्यों को इस तथ्य को प्रकाशित करना चाहिए कि कम से कम लाभ के साथ 100 रूपए देकर एफएसएस अधिनियम के अंतर्गत एक सरकारी प्रमाणपत्र एफएसएस अधिनियम के अंतर्गत मिल सकता है।

निदेशक (प्रवर्तन) ने नौंवी सीएसी बैठक में कार्य किए जाने वाले बिंदुओं को उठाया और फिर उन पर उठाए गए कदमों को उठाया। श्री महेश जगाड़े, महाराष्ट्र खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने महाराष्ट्र में एफएसएस अधिनियम 2006 के सफल क्रियान्वयन और संस्थागत संरचना पर प्रस्तुति प्रस्तुत की, जिसकी बैठक में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने सराहना की।

कार्यसूची मद सं. 1: 26 अप्रैल, 2013 को आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति के नौवीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि

समिति ने 26 अप्रेल 2013 को आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति की नौवीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की।

कार्यसूची मद सं. 2: एफएसएस अधिनियम 2006, के क्रियान्वयन के संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति के संबंध में

सीईओ, एफएसएसएआई ने बताया कि प्रगति रिपोर्ट में वे न्यूनतम जानकारी हैं जो कोई राज्य राज्यों की प्रगति का आंकलन करने के लिए भेज सकता है और यह मुद्दों को हल करने के लिए और नीतियों का निर्माण करने में सहायक होंगी।

कार्यसूची मद सं. 3: एफएसएस अधिनियम को प्रवर्तन

सीईओ, एफएसएसएआई ने इंगित किया कि लाइसेंसिंग और पंजीकरण की प्रक्रिया लक्षद्वीप में अभी आरंभ होनी है। उन्होंने सुझाव दिया कि चूंकि लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है तो वे सभी राज्य जिन्होंने अभी तक प्रक्रिया को आरंभ नहीं किया है, उन्हें प्रक्रिया ऑनलाइन आरंभ कर देना चाहिए क्योंकि इससे प्रक्रिया को जल्द आरंभ करने में सहायता होगी। उन्होंने आगे कहा कि पंजीकृत एवं लाइसेंसीकृत एफबीओ के लेखा परीक्षण को बहुत ही जल्द आरंभ किया जाएगा और अधिनियम के अनुसार कदम उठाए जाएंगे, यदि वे गैर–लाइसेंसीकृत/गैर–पंजीकृत एफबीओ से सामान खरीदते हुए पाए जाते हैं। उन्होंने राज्यों, विशेषकर गोवा, आंध्रप्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की अधिनियम को बेहतर लागू करने के लिए सराहना की। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम और त्रिपुरा से अनुपस्थिति पर ध्यान दिया गया। दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

1. आंध्र प्रदेश

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 32 डीओ, 46 एफएसओ, 23 एओ और 8 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 51651 पंजीकरण और 22778 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन प्रक्रिया में है।

घ) स्थाई समिति का गठन अभी नहीं हुआ है।

ङ) एक और जांच प्रयोगशाला का गठन हुआ है जो एनएबीएल प्रमाणिक है।

2. अरूणाचल प्रदेश

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 17 डीओ, 3 एफएसओ और 17 एओ

ख) अब तक 4184 पंजीकरण और 1078 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन हो चुका है।

घ) स्थाई समिति का गठन अभी नहीं हुआ है।

ड़) एक और जांच प्रयोगशाला का गठन हुआ है जो एनएबीए प्रमाणिक है।

3. असम

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 5 डीओ, 16 वरिष्ठ एफएसओ, 27 एफएसओ, 27 एओ और 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 712 पंजीकरण और 2609 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन प्रक्रिया में है।

घ) स्थाई समिति का गठन अभी नहीं हुआ है।

ड़) एक राज्य प्रयोगशाला का गठन हुआ है।

4. बिहार

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 9 डीओ, 14 एफएसओ और 36 एओ अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 14815 पंजीकरण और 6965 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन अभी नहीं हुआ है।

घ) स्थाई समिति का गठन अभी नहीं हुआ है।

ड़) एक राज्य प्रयोगशाला का गठन हुआ है।

5. चंडीगढ़

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 1 डीओ, 3 एफएसओ और 1 एओ अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 82 पंजीकरण और 2494 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन हो चुका है।

घ) स्थाई समिति का गठन हो चुका है।

ड़) खाद्य विश्लेषण के लिए पंजाब और हरियाणा की राज्य खाद्य प्रयोगशाला का प्रयोग किया जा रहा है।

6. दिल्ली

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 8 डीओ, 15 एफएसओ 11 एओ और 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 645 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) राज्य के पास 1 एनएबीएल प्रमाणिक खाद्य जांच प्रयोगशाला है।

घ) अपील प्राधिकरण का गठन हो चुका है।

ड़) स्थाई समिति का गठन प्रक्रियाधीन है।

7. गोवा

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 2 डीओ, 11 एफएसओ और 2 एओ एवं 2 खाद्य विश्लेषकों को अधिसूचित किया जा चुका है।

ख) अब तक 12691 पंजीकरण और 1751 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन प्रक्रिया में है।

घ) स्थाई समिति का गठन अभी नहीं हुआ है।

ड़) एक और जांच प्रयोगशाला का गठन हुआ है जो एनएबीए प्रमाणिक नहीं है। वित्तीय वर्ष के अंत तक मैन्युअली जारी किए गए लाइसेंसों को अपलोड करने का कार्य पूर्ण हो जाएगा। दिसंबर 2013 से सभी लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली को ऑनलाइन जारी किया जाएगा। 32 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त गोवा ने इस बात पर भी जोर दिया कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाना उनके राज्य का एक मुख्य मुद्दा है। बहुत सारी पद्धतियां फल पकाने के लिए प्रयोग की जा रही हैं, जिनकी निगरानी करना अत्यंत ही आवश्यक है।

जागरूकता अभियानों को आयोजित किया जाएगा और हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन से किया जाएगा। गोवा में 'दोपहर का भोजन' (मीड–डे मील) योजना की भी निगरानी की जाएगी।

8. गुजरात

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 35 डीओ, 238 एफएसओ और 2 एओ एवं 10 खाद्य विश्लेषकों को अधिसूचित किया जा चुका है

ख) अब तक 87316 पंजीकरण और 31266 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन हो चुका है।

घ) जागरूकता गतिविधियों को कई मंचों पर आयोजित किया गया है।

ड़) सचल परीक्षण वैन एवं सचल जागरूकता वैन को भी परिचालन में लाया गया है।

च) नौ खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया गया है जिनमें से 2 एनएबीएल प्रमाणिक है।

छ) राज्य में सभी जिले सक्रिय है।

ज) शुद्ध घी और तेल के लिए अभियान चलाया गया है। उन्हें खाने वाले तेल के लिए मानकों की समीक्षा करने के लिए कहा गया है क्योंकि मिश्रित खाद्य योग्य तेल में 20 प्रतिशत की पहचान नहीं हो सकती है।

9. हिमाचल प्रदेश

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 70 डीओ, 10 एफएसओ, 10 एओ और 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 59639 पंजीकरण और 20538 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन प्रक्रिया में है।

घ) स्थाई समिति का गठन हो चुका है।

च) एक और जांच प्रयोगशाला का गठन हुआ है जो एनएबीएल प्रमाणिक नहीं है।

छ) लोकमित्र केन्द्र को पंजीकरण प्रक्रिया के लिए संलग्न किया है और इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

ज) 1 अगस्त 2013, से सक्रिय (लाइव) है।

10. हरियाणा

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 21 डीओ, 11 एफएसओ, 21एओ अधिसूचित किए गए।

ख) एक खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किया गया।

ग) अब तक 7128 पंजीकरण और 3281 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

घ) अपील प्राधिकरण का गठन प्रक्रिया में है।

ड़) स्थाई समिति का गठन नहीं हुआ है।

च) दो राज्य जांच प्रयोगशाला का गठन हुआ है जो एनएबीएल प्रमाणिक नहीं है।

11. झारखंड

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 24 डीओ, 11 एफएसओ और एफएसओ के रूप में 194 एमयू प्रभारी और 24 एओ अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 4938 पंजीकरण और 2204 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन प्रक्रिया में है।

घ) स्थाई समिति का गठन हो चुका है।

ड़) एक और जांच प्रयोगशाला का गठन हुआ है जो एनएबीएल प्रमाणिक नहीं है।

12. कर्नाटक

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 36 डीओ, 76 एफएसओ और 30 एओ और 8 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 37358 पंजीकरण और 15557 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन प्रक्रिया में है।

घ) स्थाई समिति का गठन हो चुका है।

ड़) पांच राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं का गठन हो चुका है।

च) तालुका स्तर पर जागरूकता सृजन अभियान के लिए प्राधिकरण से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है।

छ) 6 जिलों में 15 दिनों के अंदर एफएलआरएस को आरंभ करेंगे।

13. केरल

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 14 डीओ, 79 एफएसओ 21 एओ और 8 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 148639 पंजीकरण और 26910 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन प्रक्रिया में है।

घ) स्थाई समिति का गठन प्रक्रियाधीन है।

ड़) तीन राज्य प्रयोगशालाओं और एक जिला प्रयोगशाला का गठन हुआ है जो एनएबीएल प्रमाणिक नहीं है।

14. मध्यप्रदेश

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 51 डीओ, 184 एफएसओ, 51 एओ और 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 61456 पंजीकरण और 17352 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन हो चुका है, अधिकारी को नियुक्त किया जाना है।

घ) स्थाई समिति का गठन हो चुका है।

ड़) एक राज्य प्रयोगशाला का गठन हो चुका है।

च) खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इस बात पर बल दिया कि वाहनों को जब्त किए जाने का कोई प्रावधान अधिनियम में नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि रेल से आने वाले गुटके को जब्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह रेलवे के अंतर्गत आता है और इस प्रकार रेलवे के एफएसओ को ऐसे सामानों को जब्त किए जाने के लिए जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

छ) 26 जिले सक्रिय (लाइव) हैं और अगले माह तक पूरा राज्य एफएलआर के अंतर्गत आएगा।

ज) उन्होंने और स्पष्ट किया कि पंजीकरण जारी किए जाने की शक्ति को सीएमएचओ से ले लिया गया है और एफएसओ को दे दिया गया है। और अधिक मानवबल की नियुक्ति का प्रस्ताव भी प्रक्रिया में है।

झ) मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने सूचित किया कि उन्होंने एफबीओ से 20 रूपए की न्यूनतम कीमत के साथ लाइसेंसिंग और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन को प्रयोग किया है।

सीईओ ने सुझाव दिया कि इंटरनेट आधारित किओस्क को सभी राज्यों में एफबीओ की मदद करने के लिए और लाइसेंसिंग और पंजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपनाया जा सकता है।

15. महाराष्ट्र

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 62 डीओ, 298 एफएसओ, 7 एओ और 37 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 263,592 पंजीकरण और 121880 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन हो चुका है।

घ) स्थाई समिति का गठन हो चुका है।

ड़) सम तिथि के अनुसार राज्य में 16 अधिसूचित खाद्य प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं।

16. मणिपुर

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 9 डीओ, 9 एफएसओ 9 एओ और 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 2350 पंजीकरण और 394 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन प्रक्रिया में है।

घ) स्थाई समिति का गठन हो चुका है।

ड़) दो राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं का गठन हुआ है जो एनएबीएल प्रमाणिक नहीं है।

17. मेघालय

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 1 उपायुक्त, 3 डीओ, 7 एफएसओ और 7 एओ अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 605 पंजीकरण और 633 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन हो चुका।

घ) स्थाई समिति का गठन राज्य और जिला स्तर पर हो चुका है ।

ड़) खाद्य विश्लेषक का पद खाली है।

18. नागालैंड

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 11 डीओ, 11 एओ, 8 एफएसओ और 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 632 पंजीकरण और 160 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ है।

घ) स्थाई समिति का गठन नहीं हुआ है।

ड़) एक राज्य खाद्य प्रयोगशाला को अधिसूचित किया गया है।

19. ओडिशा

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 37 डीओ, 9 एफएसओ और 37 एओ अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 2481 पंजीकरण और 2999 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण के गठन का अनुमोदन हो चुका है और अधिसूचना की प्रतीक्षा है।

घ) एक खाद्य प्रयोगशाला को अधिसूचित किया गया है।

ड़) खाद्य विश्लेषक की अनुपलब्धता के कारण खाद्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण में समस्या हो रही है।

20 पंजाब

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 20 डीओ, 20 एफएसओ और 11 एओ अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 40024 पंजीकरण और 6011 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन अभी नही हुआ है।

घ) स्थाई समिति का गठन अभी नहीं हुआ है।

ड़) एक राज्य खाद्य प्रयोगशाला को अधिसूचित किया गया है जो एनएबीएल प्रमाणिक है।

च) राज्य परिवहन अपील प्राधिकरण को खाद्य सुरक्षा अपील प्राधिकरण के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

21. पुद्दुचेरी

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 1 एफएसओ और 2 एओ एवं 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 847 पंजीकरण और 332 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन प्रक्रियाधीन है।

घ) स्थाई समिति का गठन अभी नहीं हुआ है।

ड़) एक राज्य खाद्य प्रयोगशाला का गठन किया गया है।

22. राजस्थान

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 42 डीओ, 88 एफएसओ, 48 एओ और 6 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 152649 पंजीकरण और 55382 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन प्रक्रियाधीन है।

घ) स्थाई समिति का गठन हो चुका है।

च) छह राज्य खाद्य प्रयोगशाला का गठन हो चुका है।

23. सिक्किम

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 2 डीओ और 4 एओ।

ख) अब तक 1959 पंजीकरण और 360 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन अभी तक नहीं हुआ है।

घ) स्थाई समिति का गठन हो चुका है।

24. तमिलनाडु

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 32 डीओ, 519 एफएसआ, 32 एओ और 6 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 203969 पंजीकरण और 29121 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन अभी तक नहीं हुआ है।

घ) स्थाई समिति का गठन अभी तक नहीं हुआ है।

च) छह राज्य खाद्य प्रयोगशाला का गठन किया गया है पर उनमें से एक भी एनएबीएल प्रमाणिक नहीं हैं।

25. उत्तराखंड

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 14 डीओ, 29 एफएसओ, 13 एओ एवं 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 25818 पंजीकरण और 3224 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन प्रक्रिया में है।

घ) स्थाई समिति का गठन हो चुका है।

च) एक राज्य खाद्य प्रयोगशाला का गठन किया गया है।

26. उत्तर प्रदेश

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 75 डीओ, 287 एफएसओ, 75 एओ और 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 129619 पंजीकरण और 30957 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन हो चुका है।

घ) स्थाई समिति का गठन हो चुका है।

ड़) छह राज्य खाद्य प्रयोगशालों में से पांच कार्य कर रही हैं।

पिछले कुछ महीनों से मुख्य ध्यान चीजों को व्यवस्थित करने पर था और उम्मीद है कि अब गति तेज होगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य एफएलआरएस को स्वीकार करने के लिए तैयार है।

27. पश्चिम बंगाल

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 20 डीओ, 49 एफएसओ, 19 एओ एवं 2 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए।

ख) अब तक 26476 पंजीकरण और 6788 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपील प्राधिकरण का गठन अभी तक नहीं हुआ है।

घ) स्थाई समिति का गठन अभी तक नहीं हुआ है।

ड़) एक राज्य खाद्य प्रयोगशाला का गठन किया गया है पर वह एनएबीएल प्रमाणिक नहीं हैं।

गोवा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कर्नाटक से आने वाले बिना रेफ्रिजरेट हुए मावे के आने की शिकायत की, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है क्योंकि खाद्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने सुझाव दिया कि सूक्ष्मजीवीय मानकों को समझने की आवश्यकता है ताकि समस्याओं को हल किया जा सके। इस संबंध में सीईओ ने राज्यों को सुझाव दिया वे प्राधिकरण को लिखें जिससे रेलवे के साथ तालमेल बेहतर हो सके।

सीईओ, एफएसएसएआई ने सूचित किया कि बहुत ही जल्द लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करने अंतिम तिथि बताता हुआ एक विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने सूचित किया कि किसी मंजिल को हासिल करने के लिए हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए सभी राज्यों से एफबीओ की अनुमानित संख्या

को 30 नवंबर तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। प्रत्येक राज्य में खाद्य विश्लेषक का होना अत्यंत ही आवश्यक है क्योंकि यह अधिनियम विज्ञान पर आधारित है और यदि खाद्य विश्लेषक नहीं होंगे तो राज्यों को अपने मामलों को न्यायालय में साबित करने में काफी परेशानी होगी। अपील प्राधिकरण को भी उन मामलों को बहुत ही जल्द निपटाने के लिए जरूरी होते हैं जिसमें अधिकारी पहले से आदेश पारित कर चुका है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लाइसेंस और पंजीकरण को जारी करने के अतिरिक्त अधिनियम के सभी पहलुओं को महत्ता दी जानी चाहिए। निगरानी प्रणाली और प्रोफोर्मा को एफएसओ, डीओ, और एओ के प्रदर्शन की जांच के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। राज्यों को न्यायालयों और एओ के द्वारा दंडों/अर्थदंड के संबंध में आंकड़ों को प्रदान किया जाना चाहिए।

कार्यसूची मद सं. 4: लाइसेंसिंग/पंजीकरण

एफएलआरएस मानवबल की कमी को पूरा करने का तरीका है। सभी राज्यों से 12वीं पंचवर्षीय योजना के लाभों को पाने के लिए एफएलआरएस को अपनाने का अनुरोध किया जाता है।

कार्यसूची मद सं. 5: राज्यों में संस्थागत संरचना

सीईओ, एफएसएसएआई ने सुझाव दिया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और एफएसएसएआई अधिकारियों के साथ एक समिति का निर्माण किया जा सकता है ताकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संस्थागत संरचनाओं को विकसित किया जा सके। खाद्य सुरक्षा आयुक्त गोवा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र ने इस कार्य में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे दी है। अन्य राज्यों ने इस संबंध में अपने सुझाव दिए हैं और वे अपनी रिपोर्ट को एक माह में अंतिम रूप दे देंगे।

कार्यसूची मद सं. 6: एफएसएस अधिनियम, 2006 में पंचायतों और नगरपालिकाओं की भागीदारी

सीईओ, एफएसएसएआई ने कहा कि ऐसे संस्थानों की मानवबल सेवाओं की कमी को पूरा करने को अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों की दृष्टि में खाद्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा उपयोग करने पर ध्यान दिया जा सकता है।

कार्यसूची मद सं. 7: 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित योजना

12वीं योजना प्रस्ताव की चर्चा निदेशक (कोडेक्स और एफए) द्वारा विस्तार से की गई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय प्रायोजित योजना के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राधिकरण के द्वारा 1500 करोड़ रूपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्राधिकरण राज्यों को खाद्य सुरक्षा संरचनाओं को मजबूत करने के लिए निधि प्रदान करेगा, जिनमें मानवश्रम, राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण एवं ई–शासन एवं निगरानी सम्मिलित है। उन्होंने यह भी बताया कि निधियों को उत्तर पूर्व राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 75:25 अनुपात में आवंटित किया जाएगा।

निदेशक (गुणवत्ता आश्वासन) ने जोर दिया कि 72 सार्वजनिक प्रयोगशालाओं को आधुनिक किया जाना है और प्रक्रिया शुरू करने से पहले पूरे मानवबल को व्यवस्थित करना है। अगला कार्यवृत्त है नई प्रयोगशालाओं का गठन, प्रत्येक 20 जिलों में एक नई प्रयोगशाला का गठन किया जाना। यह 12वीं योजना के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने आगे सूचित किया कि अंतर विश्लेषण को आरंभ किया जाएगा और यह अगले 4 माह में पूर्ण हो जाएगा। प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण अंतर विश्लेषण रिपोर्ट पर निर्भर होगा। दो खाद्य विश्लेषण परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिनमें से एक पुराने पाठ्यक्रम और दूसरी नए पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। दिसंबर, 2013 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा देने का अंतिम मौका होगा जिसका आयोजन सीएफटीआरआई मैसूर में किया जाएगा।

नया पाठ्यक्रम 2014 से परिचालनात्मक हो जाएगा। यह प्रस्तावित किया जाता है कि परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी, जिसमें चार क्षेत्रीय केन्द्रों में पचास अभ्यर्थी प्रति केन्द्र होंगे।

केरल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने सुझाव दिया कि एक पृथक सूक्ष्म जीवों की प्रयोगशालाओं का गठन वहां के लिए किया जा सकता है जो खाद्य विषाक्तता के मामलों पर कार्य करते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष, विमता ने सुझाव दिया कि प्रयोगशालाओं के संबंध में मानकों के समानीकरण आवश्यक हैं। सीईओ ने कहा कि एफएसएसएआई 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में निधि के संवितरण के विषय में बताएगा।

कार्यसूची मद सं. 7: राज्यों में लाइसेंसिंग/पंजीकरण सहित एफएसएस अधिनियम को लागू करने के लिए प्रबलीकरण गतिविधियां

स्थाई समिति का गठन राज्यों के स्तर पर किया जाना चाहिए और उसकी नियमित बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। राज्यों को हर अगली बैठक में बैठकों की संख्या के संबंध में आंकड़ों को आगे लाना चाहिए और उनमें जो निर्णय लिए गए उन्हें बताना चाहिए।

कार्यसूची मद सं. 9: राज्यों के साथ समन्वयन

सीईओ, एफएसएसएआई ने राज्यों को सूचित किया कि एफएसएसएआई अधिकारियों को बेहतर और तात्कालिक समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों को राज्य आवंटित किए गए हैं। प्राधिकरण को लिखने के अतिरिक्त राज्य अपने मामलों को संबंधित नोडल अधिकारियों को भी भेज सकते हैं।

कार्यसूची मद सं. 10: उन राज्यों में लाइसेंसिंग को लागू करने पर एसओपी, जो उन तीन चार राज्यों द्वारा प्रदत्त विचारों के साथ विकसित होगा जो वर्तमान में एफएसएसए को लागू कर रहे हैं।

सीईओ ने सूचित किया कि तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त, एसओपी को अंतिम रूप देने के लिए एनएसजी में शामिल होंगे और अन्य राज्यों से सुझाव भी इस संबध में सम्मिलित किए जाएंगे।

कार्यसूची मद सं. 11: नमूनों और वाहनों को जब्त करना एवं निपटान

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश ने कहा कि इस अधिनियम में वाहनों को जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में सीईओ, एफएसएसएआई ने सूचित किया उसके बिंदुओ को ले लिया गया है और एफएसएस अधिनियम, नियमों में संशोधनों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव मांगे गए हैं; जिन्हें आगे की कार्यवाही के लिए प्राधिकरण में जांचा जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 12: प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण संस्थानों को प्रत्येक राज्य में अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश उन प्रशिक्षकों की पहचान करें जिन्हें टीओटी (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण) के अंतर्गत या तो एफएसएसएआई में या फिर किसी अन्य पहचाने गए स्थान पर प्रशिक्षित किया जाना है। ऐसे पहचाने गए व्यक्तियों की पूरी सूची एफएसएसएआई के पास 15 अक्टूबर, 2013 तक जमा हो जाएगी ताकि प्रशिक्षण की प्रक्रिया को आगे किया जा सके। यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य नियामकों के प्रशिक्षण को और भी नियोजित तरीके से करने में सक्षम करेगा जिसमें जानकारी की निरंतरता और लागू करने पर बल दिया जाएगा।

कार्यसूची मद सं 13: एफएसएमई कार्यक्रम का क्रियान्वयन

सीईओ, एफएसएसएआई ने कहा कि यह अधिनियम स्वःअनुपालन का है। इसलिए एफएसएमएस कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा ताकि एफबीओ स्वःअनुपालित बन जाए।

सलाहकार, एफएसएसआई ने आगे सूचित किया कि एफएसएमएस कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एफएसएमएस (खाद्य व्यापार लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के संबंध में यह प्रस्तावित किया जाता है कि अच्छी विनिर्माण प्रक्रियाएं (जीएमपी) और अच्छी स्वच्छता प्रक्रियाओं (जीएचपी) को प्रथम वर्ष में लिया जाएगा। इसके लिए इन घटकों के क्रियान्वयन एवं प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को किए जाने की आवश्यकता होगी। परिणामस्वरूप यह प्रस्तावित किया जाता है कि अप्रैल, 2014 में अन्य तीन घटकों के क्रियान्वयन, अर्थात आपदा विश्लेषण और चिकित्सीय नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी), सुरक्षित भोजन स्वादिष्ट भोजन (एसएफटीएफ) एवं सड़क पर भोजन विक्रेताओं (सीएसवी) के लिए स्वच्छता प्रमाणपत्रों को आारंभ किया जाएगा। यह समझा जाता है कि क्यूसीआई (भारत सरकार, औद्योगिक नीति और प्रचार विभाग के अंतर्गत) एक संगठन है जिसके पास यह क्षमता है। वर्तमान में, उपरोक्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई और अन्य संगठन नहीं है। प्रमाणन निकायों हेतु राष्ट्रीय पात्रता आयोग (एनएबीसीबी) क्यूसीआई की संरचना कार्य के अंतर्गत कार्य कर रहा है, वह भी अंतर्राष्ट्रीय पात्रता मंच का सदस्य है। एफएसएसएआई का विचार है कि मान्यता प्रदान करने वाली/प्रमाणपत्र देनेवाली संस्थाओं के लिए और संबंधित प्रमाणीकरण के लिए क्यूसीआई और इसकी निर्माण इकाइयों के अंतर्गत कार्य किया जाए।

कार्यसूची मद सं. 14: विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिशानिर्देश।

इस कार्यसूची को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्णय के उपरांत हटा दिया गया।

कार्यसूची मद सं. 15: दोपहर का भोजन योजना की निगरानी के लिए दिशानिर्देश

सीईओ, एफएसएसएआई ने इंगित किया कि यह एक गंभीर मामला है। इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा जाएगा कि वे दोपहर का भोजन योजना और अन्य सरकारी खाद्य आपूर्ति कार्यक्रमों की निगरानी करें जिससे आपूरित किए जा रहे खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो। गोवा ने दोपहर के भोजन के बारे में एक अच्छी योजना का निर्माण किया है। सभी राज्यों से योजना बनाने के लिए और उसे प्राधिकरण को सूचित करने का अनुरोध किया जाता है।

कार्यसूची मद सं. 16: दूध आयुक्त/अपर दूध आयुक्त की पूरे राज्य में डेयरी संयंत्रों हेतु पदेन अधिकारी के रूप में संलग्नता

खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने बताया कि कई बार हितों का टकराव होता है क्योंकि दूध आयुक्त की भूमिका विकासात्मक है और खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियामक है। सीईओ ने अनुरोध किया कि सभी राज्यों को उनकी टिप्पणियां इस मामले पर भेजी जानी हैं ताकि मुद्दे का सही समाधान हो सके।

अतिरिक्त कार्यसूची: मद "सड़क के सुरक्षित भोजन" को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कार्यक्रम

निदेशक (कोडेक्स और एफए) ने सूचित किया कि 16 शहरों को सड़कों पर बिकने वाले भोजन को सुरक्षित करने के लिए एक मुख्य कार्यक्रम **"सड़क के सुरक्षित भोजन"** को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसे चुने हुए शहरों में सड़कों पर भोजन बेचने वालों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया है। उन्होंने आगे जोड़ा कि अब तक भरे हुए डीपीआर प्रोफोर्मा मुंबई और अगरतला से मिल गए है।

गोवा और मेघालय ने भी इस परियोजना में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की है। सीईओ ने सुझाव दिया कि वे अपना आवेदन लिखित में भेजें और साथ ही यह भी जोड़ा कि सभी शहरों को सुरक्षित सड़क भोजन कार्यक्रम के लिए विस्तृत परियोजना रिपार्ट प्रोफोर्मा 30 अक्टूबर, 2013 तक जमा करा देना चाहिए।

बैठक से सुझावों पर कार्रवाई बिंदु: बैठक में हुई चर्चा के दौरान निम्न बिंदु उभर कर आए:

1. एफबीओ के लाइसेंस और पंजीकरण जारी करने की तिथि 4 फरवरी 2014 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
2. राज्यों में उपलब्ध इंटरनेट किओस्क को एफबीओ के द्वारा लाइसेंसिंग और पंजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रयोग करना चाहिए
3. हितधारकों के साथ संवाद हेतु टीवी जैसे माध्यमों का प्रयोग करें
4. 30 नवंबर 2013 तक सभी राज्यों को कई एफबीओ का अनुमान जमा करना चाहिए
5. गोवा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्यो में समिति राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परिचालनात्मक संरचना को मानकीकृत करने के लिए संरचना पर कार्य करेगी
6. एफएलआरएस के प्रयोग के द्वारा एफबीओ के ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया को आरंभ करने वाले सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 12वीं पंचवर्षीय योजना का लाभ मिलेगा।

7. तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त राज्यों में लाइसेंस को लागू करने के लिए एसओपी को अंतिम रूप देने के लिए एनआईएसजी के साथ जुड़ेंगे।
8. सभी राज्यों को सड़कों पर सुरक्षित भोजन कार्यक्रम के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रोफोर्मा 30 अक्टूबर, 2013 तक जमा किया जाना है।
9. राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से एफएसएस अधिनियम, नियम और विनियमों में संशोधन के लिए सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।
10. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उन प्रशिक्षकों को पहचानना है जो 15 अक्टूबर, 2013 तक एक केंद्रीय प्रशिक्षण के माध्यम से टीओटी (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण) में भाग लेंगे
11. एफएसएसएआई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधि के संवितरण के लिए योजनाओं को बताएगी
12. सभी राज्य सचिवों को दोपहर का भोजन योजना के सही क्रियान्वयन के लिए निगरानी के लिए पत्र लिखा जाएगा
13. दूध आयुक्त/अपर दूध आयुक्त की पूरे राज्य में डेयरी संयंत्रों हेतु पदेन अधिकारी के रूप में संलग्नता हेतु सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

.....

बैठक में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक–1** में दी गई है।

अनुलग्नक–1

दिनांक 27 सितंबर 2013 को बिजनेस लांज, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति की दसवीं बैठक के दौरान निम्नलिखित उपस्थित थे:

1. श्री के चंद्रमौली, अध्यक्ष, एफएसएसएआई दिल्ली
2. श्री डी के संमंतरे सीईओ, एफएसएसएआई दिल्ली
3. श्री एस दवे, सलाहकार (मानक), एफएसएसएआई दिल्ली
4. सुश्री विनोद कोतवाल, निदेशक (कोडेक्स), एफएसएसएआई दिल्ली
5. कर्नल सीआर दलाल, निदेशक (निगरानी), एफएसएसएआई, दिल्ली
6. डॉ मीनाक्षी सिंह, साइंटिस्ट (मानक), एफएसएसएआई दिल्ली
7. डॉ संध्या काबरा, निदेशक (क्यूए और पीए), एफएसएसएआई दिल्ली
8. श्री प्रदीप चक्रवर्ती, निदेशक (एचआर/ आईईसी/जोन), एफएसएसएआई, दिल्ली
9. श्री संजय गुप्ता, एडी (एन्फो) एफएसएसएआई दिल्ली
10. डॉ ए माधवन, विज्ञापन एडी (प्रवर्तन) एफएसएसएआई दिल्ली
11. श्री. ए.के. श्रीवास्तव, सलाहकार एफएसएसएआई दिल्ली
12. श्री. पी कार्तिकेयन, एडी (क्यूए) एफएसएसएआई दिल्ली
13. श्री. ए रस्तोगी, एडी (निगरानी), एफएसएसएआई दिल्ली
14. डॉ राजेश कुमार, (वैज्ञानिक) एफएसएसएआई दिल्ली
15. श्री. वी. रामा लिंगम, उप निदेशक, तमिलनाडु
16. श्री डी. डी. अग्रवाल, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मध्य प्रदेश
17. श्री. देवेद्र के वर्मा, व0 एफएसओ मध्य प्रदेश
18. श्री जी सी कंडवाल व0 डी ओ, उत्तराखंड
19. डॉ निर्मला कुमारी देवी, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, ओडिशा
20. श्री. यूके मित्रा, उपायुक्त खाद्य सुरक्षा, अरुणाचल प्रदेश
21. श्री. महेश जगाडे, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, महाराष्ट्र
22. श्री. के वी संखे संयुक्त आयुक्त, महाराष्ट्र
23. डॉ के मेथेकर सीनियर एफएसओ, महाराष्ट्र
24. डॉ नीफी किरे प्रधान निदेशक, स्वास्थ्य एव. परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
25. श्री वीबी पाटिल, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, कर्नाटक
26. डॉ जयकुमार, उप. निदेशक, कर्नाटक

27. श्री. पी एन खत्री, उप. निदेशक नई दिल्ली
28. श्री. एस एन संगमा, ओए. आयुक्त, मेघालय
29. श्री. बी बी राय, अतिरिक्त निदेशक, सिक्किम
30. श्री. एन. के गांगुली, सदस्य, वैज्ञानिक समिति
31. श्री. अनुपम गोगोई, खाद्य विश्लेषक, असम
32. श्री. ए के ओझा, डीसी, एमएसएमई, निर्माण भवन, नई दिल्ली
33. डा. जी एल उपाध्याय, उप–खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पुडुचेरी
34. श्री. एस.के. गुप्ता, नामित अधिकारी, दिल्ली
35. श्री. विजय बहादुर सहायक आयुक्त, उत्तर प्रदेश
36. श्री. जी भुजबल आर्थिक सलाहकार, एमओएफपीआई दिल्ली
37. सुश्री मोनिका रावत, वरिष्ठ सहायक निदेशक, फिक्की, दिल्ली
38. डॉ. एस पी, वसीरेड्डी कार्यकारी अध्यक्ष, विमता लैब्स, हैदराबाद
39. श्री. श्याम लाल शर्मा, दमन और दीव/ दादर और नागर हवेली, चाणक्यपुरी, दिल्ली
40. डा. तरसेम चंद, निदेशक, एमओएचएफडब्ल्यु दिल्ली
41. श्री. रघु गुडा महाप्रबंधक, एनआईएसजी, हैदराबाद
42. श्री. एस मेहरा, निदेशक, पशुपालन विभाग, कृषि भवन, दिल्ली
43. डा. एच जी कोशिया आयुक्त खाद्य सुरक्षा, गुजरात
44. डा. जे एच पनवल महिला एव. बाल विकास म.त्रालय, खाद्य एवं पोषण बोर्ड, दिल्ली
45. डा. जी. एल. सिंघल, संयुक्त आयुक्त, एफडीए, हरियाणा
46. श्री आशीष कुमार सिंह, डीओ, (मुख्यालय) बिहार
47. श्री एस एम भारद्वाज, खाद्य विश्लेषक, दिल्ली
48. श्री. सलीम ए वेल्जी आयुक्त खाद्य सुरक्षा, गोवा
49. श्री. एचआर शर्मा, संयुक्त आयुक्त, हिमाचल प्रदेश
50. श्री. ओएस मीणा, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एव. सचिव एच एव. परिवार कल्याण, पश्चिम बंगाल
51. वाई त्सेरिंग, प्रमुख सचिव और आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मेघालय
52. डॉ इंदिरा चक्रवर्ती, मुख्य सलाहकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार
53. डॉ सुहेल अख्तर, प्रमुख सचिव, मणिपुर
54. डॉ पी सुचरितामूर्ती निदेशक, जेपीएच पीएच लैब, एफएचए
55. श्री आई एन मूर्ति, महाप्रब.धक, एनआईएसजी, हैदराबाद

56. श्री. आर. के. वर्मा, डीओ, गाजियाबाद

57. श्री हेमंत राव, आयुक्त खाद्य, उत्तर प्रदेश

58. श्री. हुसैन लाल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पंजाब

59. श्रीमती केया घोष कोलकता

60. श्री. बिक्शापति के, उपाध्यक्ष एनआईएसजी, हैदराबाद

61. सुश्री अनीता मखीजानी तकनीकी सलाहकार, खाद्य और पोषण बोर्ड

62. डॉ राजीव खनेजा तकनीकी सलाहकार, खाद्य और पोषण बोर्ड .चंडीगढ़

63. डॉ आदित्य अत्रेया तकनीकी सलाहकार, खाद्य और पोषण बोर्ड राजस्थान

64. श्री. अर्नब हजारा, फिक्की, दिल्ली

65. श्री. ए के सिन्हा, ओएसडी, झारखंड

66. श्री. बीजू प्रभाकर, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल

* यह नोट किया जा सकता है कि प्रतिभागियों के नाम उपस्थिति सूची में दर्ज क्रम में व्यवस्थित किए गए है और इनमें वरिष्ठता क्रम का अनुसरण नहीं किया गया है। नाम की वर्तनी में यदि कोई भूल है, तो उसके लिए खेद है।